राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी/ए–3/सेल–जयपुर/2013/754 दिनांक : 07.08.2013

समस्त लाईसेंसिंग अथोरिटी
एवं
सहायक औषधि नियंत्रक,
राजस्थान।

विषयः– निरीक्षण में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं पर दवा विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

राजस्थान पत्रिका में समाचार शीर्षक "भगवान भरोसे दवा की दुकानें" प्रकाशित हुआ है जिसमें फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में औषधियों का विक्रय किया जाना, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, दवाओं को निर्धारित तापमान पर नहीं रखना, लाईसेंस के नवीनीकरण नहीं होना, बिना डाक्टर की पर्ची के दवायें बेचना एवं बिल बुक में अनियमितताऐं करने इत्यादि का उल्लेख करते हुये लिखा है कि इस तरह की अनियमिततायें होना आम हैं तथा इन पर विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा है।

राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश प्रदान किये गये हैं कि गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण में, निर्धारित समयावधि में दवा विक्रेताओं पर सख्त कार्यवाही की जावें, अधिकतम एक माह में लाईसेंस नवीनीकृत किये जावें। फार्मासिस्ट के छोडने अथवा बदलने पर विभागीय स्तर पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुये ऐसे आवेदनों का निस्तारण यथाशीघ्र कर दिया जाना चाहिये परन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें विलम्ब हो रहा है जिससे फार्मासिस्ट एवं दवा विक्रेताओं को कठिनाई हो रही है। अतः इसकी पालना भी सुनिश्चित करें।

विभाग में 58 नये औषधि नियंत्रण अधिकारियों की भर्ती के बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो सके इसकी जिम्मेदारी आपके अधीन क्षेत्र में आप पर है, अतः इसकी सुनिश्चितता की जावे। विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की नियमित निगरानी करवायी जाने का दायित्व भी आपका ही है। माननीय न्यायाधीश ने भी औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कोर्ट केसेज में उपस्थित नहीं होनें की शिकायत करते हुये उन्हे पाबन्द करनें के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः सुनिश्चित करें कि आपके अधीन पदस्थापित औषधि नियंत्रण अधिकारी नियमित रूप से कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों में उपस्थित हो रहे हैं तथा जो इसकी पालना नहीं कर रहे हें उनके विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवायें।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–II) विभाग, राज0, जयपुर।
2. निदेशक (आईईसी), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें, जयपुर।
3. सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर, बांसवाडा, श्रीगंगानगर व जोधपुर को समाचार पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि उनके जिलों से संबंधित शिकायत के क्रम में भी आप आवश्यक कार्यवाही करवाकर सूचित करें। (संलग्न समाचार की प्रति)
4. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारीगण, राजस्थान को पालनार्थ।
5. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर डालें।

7/8/13

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

D:\Mukesh Ji\Letter.doc